संख्या-20/2019 /1704/96-आयुष-1-2019-78/2019

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 28 मार्च, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-12/2019/1303/96-आयुष-1-2019-78/2019; दिनांक 08.03.2019 के क्रम में अपने पत्र संख्या-777/368/18-19/योजना, दिनांक 18.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण संबंधी शासन के पत्र संख्या-12/2019/1303/96-आयुष-1-2019-78/2019, दिनांक 08.03.2019 के साथ संलग्न सूची के स्थान का नाम संबंधी स्तम्भ-3 के क्रम संख्या-6 में उल्लिखित "नरसैना" के स्थान पर "मांकड़ी" पढ़ा जाय।

3- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या-20/2019/1704(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(6) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in